| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**बाबूलाल बनाम कुसुम**<br>**अपील संख्याः–333/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/534)** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.01.23 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। उन्हे आवाज दिलवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में पुनः रूक–रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई। उसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है और आज भी अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>**(असलम शेर खान)**<br>अति.संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर। | |